2019 (2)

आई0 एल0 आर0 पंजाब एण्ड हरियाणा

सुदीप अहलूवालिया जे0 के समक्ष

मुक्ता अग्रवाल ..... याचिकाकर्ता

बनाम

विनित गुप्ता ..... प्रतिवादी

केस नं0:-**CR NO. 1929/2019**

August 30, 2019

अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890- एस0एस0 9 और 25 - नाबालिग बेटियों की अभिरक्षा - नाबालिकों को अपने पिता के साथ रहना जारी रखना - व्यक्तिगत बातचीत पर, बच्चों ने अपने पिता के साथ रहने के अपने अधिकार की पुष्टि की - उन्होने आगे मुलाकात माँ के साथ मिलने के अधिकारों पर आपत्ति जताई, उनकी गतिविधियों में हस्तेक्षप कर रही थी - लड़कियाँ अपने मौजूदा स्कूल, शिक्षकों और दोस्तों से खुश थी- वे बुद्धिमान प्रथामिकता बनाने के पर्याप्त उम्र कि थी - रिकार्ड पर कोई व्यवहार्य सामग्री नहीं थी जो यह दिखाती हो कि पिता ने उन्हें पढ़ाया था या उनके साथ क्रूरुता से व्यवहार किया था - नहीं बच्चों को पिता की अभिरक्षा से अनावश्यक रूप से बेदखल करने का कारण बेटियों की अभिरक्षा की माँग करने वाली माँ की याचिका खारीज कर दी गई ।

यह माना गया कि, माननीय न्यायालय की सुविचारित राय है कि इस समय, नाबालिग बच्चों की अन्तरिम अभिरक्षा उसें नहीं दी जानी चाहिए, विशेष रूप से दिनांक 17.08.2019 को नाबालिग बच्चों के साथ बातचीत के दौरान, यह अदालत यह समझ सकती है कि वे इसमें नहीं जाना चाहते हैं । इस सतर पर याचिकाकर्ता / माँ की अभिरक्षा और दृढ़ता से कहा गया है कि वे अपने पिता के साथ रहना चाहते है । यह तर्क दिया जा सकता है कि इतनी कम उम्र में होने के कारण, नाबालिग बच्चों को मेरे सामने इस तरह का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके पिता द्वारा सिखाया जा सकता है । चैम्बर, या अन्यथा यह समझने के लिए प्रर्याप्त परिपक्व नहीं है कि उनका अन्तिम कल्याण कहा है, लेकिन बड़ी बेटी शरण्या मोहन ने मुझे यहाँ तक बताया कि वह याचिकाकर्ता / माँ की पक्ष में मुलाकात के अधिकार की मौजूदा व्यवस्था से भी खुश नही है, जिससे सप्ताहान्त में लड़कियाँ उनके साथ रहती है । दोनों नाबालिग बच्चों ने यह भी कहा है कि वे स्कूल में अपने शिक्षकों व दोस्तों से बहुत खुश हैं और इस सतर पर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते है ।

(पैरा 22)

इसके इलावा यह माना गया कि उपरोक्त निर्णय 1890 के अधिनियम की धारा–17(3) के पूर्ण अनुरूप, जो यह प्रावधान करता है कि यदि नाबालिग बुद्धिमान प्राथमिकता बनाने के लिए प्रयाप्त उम्र का है, तो न्यायालय उस प्राथमिकता पर विचार कर सकता है । **(पैरा 24)**

आगे कहा है कि, इस उम्र में उन्हें अनावश्यक रूप से उनके पिता की अभिरक्षा से बेदखल करने का कोई औचित्य नहीं हैं, विशेषरूप से यह देखते हुए कि इस पर कोई सत्यापन योग्य सामग्री नहीं है और बच्चों के साथ किसी भी समय दुरूव्यवहार किया गया है या उनके पिता द्वारा किसी भी प्रकार की क्रूरूता या आधात का शिकार हुआ है / प्रतिवादी, न हीं उन्होने स्वयं मेरे साथ बातचीत के दौरान अपने पिता के विरूद्ध इस प्रकार की कोई बात कही है ।

एस0डी0 सिहँ, स्वेता सिन्हा, वैभव गोयल और अनु गर्ग

याचिकाकर्ता के वकील

आलोक के0 जैन

प्रतिवादी के वकील

सुदीप अहलूवालिया, जे0

(1) यह पुनरीक्षण आवेदन एलडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2019 के विरूद्ध निर्देशित है । अतिरिक्त प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय, फरीदाबाद, जिसके तहत सुश्री मुकरा अग्रवाल–वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा अपनी नाबालिग बेटियों शरण्या मोहन और अरूणिमा की अस्थायी अभिरक्षा की माँग करने वाले आवेदन का निपटारा कर दिया गया था ।

(2) विवादित आदेश के अनुसार, निचली अदालत ने अपनी बेटियों की अन्तरिम अभिरक्षा की मांग करने वाली याचिका के आवेदन को वस्तुतः अस्वीकार कर दिया, जो वर्तमान में वर्तमान मामले में उनके पिता के प्रतिवादी के साथ रह रही है । निचली अदालत ने फिर भी याचिकाकर्ता / माँ को अनुमति दे दी । प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे नाबालिग लड़कियों को नोएडा में उनके वर्तमान घर से लेकर फरीदाबाद में अपने निवास पर ले जाना, और उसके बाद रविवार की दोपहर 3 बजे तक उनकी अभिरक्षा नोएडा में वापस कर देना । रविवार को, प्रतिवादी को निर्देश देने के अलावा कि वह नाबालिग बेटियों को याचिकाकर्ता से प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरूवार को शाम 7:00 बजे से 8:00 बजे के बीच टेलीफोन पर बात कराए । इसके इलावा, एल0डी0 निचली अदालत ने दोनों पक्षों को स्थिति की किसी भी आवश्यकता होने पर उपरोक्त व्यवस्था में बदलाव और परिवर्तन की मांग करने की भी स्वतन्त्रता दी । विवादित आदेश का प्रासंगिक ऑपरेटिव भाग उसी के पैरा 25 में निहित है, जबकि परिवर्तन / संशोधन की मांग करने की स्वतंत्रता पैरा में है, और उन टिप्पणियों को नीचे दिया गया है –

> "25. इस मामले में विशिष्ट तथ्यों और उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नाबालिग लड़कियों के हित में कल्याण और देखें, कार्यवाही के इस चरण में, मैं याचिकाकर्ता माँ द्वारा अन्तरिम अभिरक्षा के लिए आवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हूँ । हालाँकि, नाबालिग लड़कियों की

माँ होने के नाते उनकी चिन्ता को पूरी तरह से नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है और इसलिए, मेरे विचार से, न्याय के हित को काफी हद तक पूरा किया जाएगा । यदि उन्हें बच्चों के लिए अचित और उपयुक्त मिलने अधिकार प्रदान किया जाए, तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह के पहले एंव तीसरे शुक्रवार को याचिकाकर्ता – कुमारी मुक्ता अग्रवाल शाम 5:30 बजे नाबालिग लड़कियों को नोएडा स्थित उनके घर से ले जाएंगी और उन्हें अपने साथ फरीदाबाद ले जाएंगी, और फिर याचिकाकर्ता नाबालिग लड़कियों को रविवार दोपहर 3:00 बजे तक वापस नोएड़ा छोड़ देगी, यानि नाबालिग लड़कियों के साथ लगभग दो दिन बिताने के बाद । प्रतिवादी को सप्ताह के प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरूवार को शाम 07:00 बजे से 08:00 बजे के बीच नाबालिग बेटियों को याचिकाकर्ता से टेलीफोन पर बात भी करानी होगी ।

26. XXXXXXXXXXXX

27. ऊपर दर्ज निष्कर्षो की अगली कड़ी में, अन्तरिम अभिरक्षा के लिए यह आवेदन तदनुसार निपटाया जाता है । हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह पूरी तरह से एक अन्तरिम व्यवस्था है और पार्टियों को उपरोक्त व्यवस्था में बदलाव और बदलाव के लिए देने की स्वतन्त्रता है, केवल अगर बदली हुई स्थिति में उचित और उचित हो, या उपरोक्त व्यवस्था के परिणामों के मामले में आदेश दिया गया हो ऐसे परिणाम सामने आते है जिनमे परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता होती है, लेकिन बच्चों के कल्याण के लिए इस सूची के पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को मुलाक़ात के अधिकार देने के आदेश और यहाँ पारित अन्य निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और वे पूरी तरह से पालन करेंगें । एक दूसरे का सहयोग करेगें । यह भी उम्मीद की जाती है कि वे नाबालिग बच्चों के कानों में विपरीत पक्ष के खिलाफ जहर नहीं भरेंगे ।

3. पीड़ित याचिकाकर्ता ने अब आक्षेपित को चुनौती दी है । यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि पहले चरण में, प्रतिवादी / पति ने अन्य बातों के साथ–साथ संरक्षक और वार्ड अधिनियम की धारा 25 के तहत याचिकाकर्ता की मूल याचिका की स्थिरता को स्पष्ट रूप से चुनौती दी थी । हालाँकि, दिनांक 18.10.2018 को निचली अदालत में दर्ज मुकदमा नं0 C.R. NO. 8160 साल 2018 को एल0डी0 अदालत के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के दोष के आधार पर मूल याचिका को खारिज करने के उनके आवेदन को एल0डी0 द्वारा खारिज कर दिया गया था । जो कि, उसके बाद प्रादेशिक क्षेत्राधिकर के सम्बन्ध में आपत्ति लेने की स्वतन्त्रता के साथ उनके द्वारा वापस ले लिया गया, इस तरह की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया कि वह मुख्य याचिका को एक महीने की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करें । समन्वय का ऐसा आदेश बेंच दिनांक 01.12.2018 को पारित किया गया था, और जो निम्नलिखित दिया गया है–

"मामले पर विस्तार से बहस करने और अदालत को राजी करने में कठिनाई का महसूस करने के बाद, मुख्य याचिका पर निर्णय, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से क्षैत्रीय क्षैत्राधिकर के सम्बन्ध में आपत्तियां लेने की स्वतन्त्रता के साथ पुनरीक्षण चाचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसका फैसला अदालत द्वारा किया जाएगा ।"

उपरोक्त मामला, स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के कारण खारिज किया जाता है ।

हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो नाबालिग लड़कियों की अभिरक्षा विवाद में है, यह निर्देश दिया जाता है कि विद्वान परिवार न्यायलय मुख्य याचिका को निश्चित रूप से एक निश्चित अवधि के भीतर निपटाने का गम्भीर प्रयास करेगी । माननीय पारिवारिक अदालत इस तथ्य की परवाह किए बिना मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतन्त्र होगी कि दोनों पक्ष सहयोग करें या नहीं"

4. सभी पक्षों के लिए एल0डी0 वकील द्वारा यह सूचित किया गया है कि नौ महीने की निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले निचली अदालत ने स्वंय कुछ परिस्थितियां का हवाला देते हुए समय विस्तार की मांग की थी, और उसके बाद खण्डपीठ द्वारा छह सप्ताह की अवधि के लिए समय को और बढ़ा दिया गया है ।

5. इस प्रकार मूल संरक्षकता याचिका से उत्पन्न पक्षों के बीच अलग-अलग मुकदमेंबाजी की उपरोक्त पृष्ठीूमि के बारे में अवगत होने के बाद, अब दोनों पक्षों की ओर से आग्रह के अनुसार मामले की गुण-दोष पर ध्यान देना उचित होगा । याचिकाकर्ता / माँ नाबालिग लड़कियों ने संरक्षक और वार्ड अधिनियम की धारा-25 के तहत अपनी अभिरक्षा की मांग करने के अलावा, धारा-9 के तहत अपनी अन्तरिम अभिरक्षा की भी मांग की थी, अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए कि उनकी शादी दिनांक 28.11.2004 को प्रतिवादी से हुई थी और विवाह के बाद से उपरोक्त नामित बेटियों का जन्म हुआ था, उसने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने उसे और बेटियों को दिनांक 24.08.2014 से दिनांक 03.03.2017 तक लगभग 2½ वर्षो (ढाई सालों) के लिए छोड़ दिया था और उस दौरान उसने उनके रखरखाव और भलाई की परवाह नही की, और वह (याचिकाकर्ता) अकेली थी, फरीदाबाद स्थित अपने पैतृक घर में उन्होनें उनकी देखभाल की, चाहे वह उनकी शिक्षा, भरण-पोषण, आराम और पालन-पोषण हो । यह भी दलील दी कि वह बेहद योग्य महिला हैं ।

जो कि मास कम्युनिकेशन में एम0ए0 और एम0एस0सी0 पास कर चुकी है । सतत विकास में, और इसके अलावा वह पिछले 13 वर्षो से सरकारी सेवा में है, और वर्तमान में, सार्वजनिक क्षैत्र के उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में प्रबन्धक के रूप में तैनात है । उन्होनें अनुरोध किया कि उन्होनें प्रतिवादी के साथ पुनर्मिलन के लिए हर संभव प्रयास किया । नाबालिग लड़कियों के कल्याण के लिए, और उसके अनुसरण में और अपने विवाहित जीवन को एक और मौका देते हुए, मार्च 2017 में वह नाबालिग लड़कियों के साथ प्रतिवादी के साथ नोयडा में चली गई, लेकिन जैसा कि आरोप लगाया गया है, उसकी उम्मीदें टूट गई क्योंकि प्रतिवादी ने उसका इलाज क्रूरता के साथ करना जारी रखा और दिनांक 16.02.2018 को उसकी बहन अपने घर से नाबालिग लड़कों के साथ गायब हो गई और तब से याचिकाकर्ता आवेदक को उसकी बेटियों की अभिरक्षा से वंचित कर दिया गया है, और दिनांक 27.02.2018 को उसे नोएडा स्थित घर से भी बाहर निकाल दिया गया है । परित्याग और दुर्व्यहार के कारण वह उसे अपने पैतृक घर फ़रीदाबाद ले आई । अन्तरिम अभिरक्षा के लिए उसके दावे को पुष्ट करने के लिए, यह भी दलील दी गई कि लगभग 7 साल और 5 साल की उम्र में नाबालिग लड़कियों को अपनी माँ की देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, याचिकाकर्ता को उसके माता-पिता का भी समर्थन प्राप्त है और उनके पिता सेवानिवृत प्रथम-श्रेणी सरकारी अधिकारी हैं, जिन्होने उस समय नाबालिग लड़कियों को पालन-पोषण और आराम प्रदान करने के लिए सभी कष्ट उठाए, तब प्रतिवादी ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था । इससे भी अधिक, जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी अपने आधिकारिक कार्यो में व्यस्त रहता है, और उसकी हस्तातरणीय नौकरी है, और उसके माता-पिता, क्रमशः 70 और 67 वर्ष की आयु के हैं, मधुमेह, अनियमित ब्लड प्रैशर आदि से पीड़ित हैं, अन्य बातों के इलावा, इन पर पेंशनभोगी ने अपने अलग से दायर आवेदन में खुद को बेहतर उपयुक्त व्यक्ति होने का दावा करते हुए अनुदान देने की प्रार्थना की थी । इस याचिका के निपटारे तक नाबालिगों की अन्तरिम अभिरक्षा उसे दी जाएगी ।

6. प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के दावे का विरोध करते हुए कहा कि उसका आवेदन वास्तव में गौतमबुद्धनगर में व्यभिचार और क्रूरता के आधार पर उसके खिलाफ पहले से दायर तलाक की याचिका का जवाबी हमला था । उन्होनें टेलीफोन पर हुई बातचीत के कुछ हिस्सों को दोहराया । कथित तौर पर याचिकाकर्ता एक चरित्रहीन महिला है और वह नाबालिग लड़कियों की देखभाल के लिए उपयुक्त नहीं हैं । यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता अपने प्रेमी के साथ समय बिताती थी और उस समय बच्चों को मातृप्रेम और स्नेह से वंचित करती थी । यह भी दलील दी गई कि दिनांक 24.08.2014 को याचिकाकर्ता दोनों नाबालिग लड़कियों को प्रतिवादी और उसके माता-पिता की इच्छा के विरूद्ध जबरन ले गया और उसके बाद उसने बच्चों के कल्याण के लिए समझौता

करने के कई प्रयास किए, लेकिन याचिकाकर्ता हमेशा की तरह अड़ियल रहा और प्रतिवादी और उसके माता–पिता को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी । उन्होनें आगे दलील दी कि दिनांक 27 फरवरी 2018 को याचिकाकर्ता चला गया । बैग और सामान के साथ उसका वैवाहिक घर, और अपने प्रेमी के साथ अनैतिक जीवन जीने के परोक्ष उद्देश्य से नाबालिग लड़कियों को नोएड़ा में छोड़ दिया ।

7. प्रतिवादी का आगे का तर्क यह था कि एक उत्सुक शिक्षाविद् और एक स्थापित सरकारी नौकरी में होने के नाते, वह अपनी मां, जो कि केन्द्रिय सरकार से एक सेवानिवृत शिक्षक है, और अपने पिता, जो कि सहायता से नाबालिग लड़कियों की अच्छी और उचित देखभाल कर रहे थे । एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी है, और उनके कठिन प्रयासों के कारण, लड़कियाँ अपनी पढ़ाई और पाठ्येतर गतिविधियों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे : जैसा कि अनुरोध किया गया था, दोनों लड़कियाँ को स्ट्रोल आर्ट व वर्ष 2018 में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान नोएडा के पेंटिंग स्कूल और इंस्टीटच्यूट में नामांकित किया गया था, जो सर्वश्रेष्ठ ड्राइंग में से एक है वे नोएडा के सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगनाओं में से एक कृष्णा कला डांस स्कूल के तहत कथक नृत्य सीख रहे थे । शरण्या मोहन नाम की बेटी नोएडा की सर्वश्रेष्ठ अकादमियों में से एक में टेनस सीख रही थी, इसके इलावा, प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से नाबालिग लड़कियों को पढ़ा रहा था, इसके इलावा उन्हे अन्य सुविधाएं और मनोरंजन भी प्रदान कर रहा था । यह बताया गया था कि उसके द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व के विभिन्न सम्मानों पर भी ले जाया गया था ।

8. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और उनके द्वारा उद्धृत व्यर्थ मामले के कानूनों पर विचार करने के बाद, निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा यायिकाकर्ता के नैतिक आचरण के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भी ध्यान दिया गया । वह किसी अमित गर्ग के साथ व्यभिचारी रिश्ते में थी और शारीरिक / मानसिक क्रूरता के इलावा इस तरह का व्यभिचार उसकी तलाक की याचिका का आधार था, जबकि उसने एल0डी0 अतिरिक्त प्रमुख की अदालत नोयडा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में उक्त अमित गर्ग के खिलाफ एक अलग आपराधिक शिकायत भी दायर की थी ।

9. निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश में कहा है कि पार्टियों द्वारा एक–दूसरे के खिलाफ लगाए गए आरोपों और प्रत्यारोपों की सच्चाई को इस स्तर पर सत्यापित नहीं किया जा सकता है, हालांकि, उनकी राय थी कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह का नेतृत्व करने में बहुत कम विफल रहा है । यह दिखाने के लिए सामग्री है कि नाबालिग बेटियों का कल्याण खतरे में है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है । अदालत के समक्ष लम्बित कार्यवाही के दौरान ऐसी अभिरक्षा में बदलाव के स्थिति में बच्चों को जो आघात होने की संभावना हैं, उसे दूर करना होगा । ध्यान में रखें । यहाँ में याचिकाकर्ता के माननीय वकील द्वारा दिए गए इस दलील से अवगत हूँ कि माँ की

गोद प्राकृतिक पालना है जहाँ सुरक्षा होती है और बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है और इसका कोई विकल्प नहीं है । वहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कार्यवाही के इस चरण में, मेरे लिए बच्चों को नोएडा में उनके सीान और स्कूल से निकालना उचित नहीं होगा । इसलिए बच्चों की अभिरक्षा के मद्देपर निर्णय लेने के लिए इस अदालत के अधिकार क्षैत्र का प्रश्न अभी भी खुला है, दोनों पक्षों के साक्ष्य के बाद निर्णय लिया जाएगा ।"

10. इस न्यायालय ने एल0डी0 को दोनों पक्षों को विस्तार से सुना, उनके द्वारा दिए गए उद्धरणों पर भी विचार किया गया । इसके अलावा, न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर दोनों छोटी लड़कियों के साथ बातचीत की है । वे दिनांक 28.05.2019 को मेरे चैम्बर में मेरे सामने उपस्थित हुए, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए न्यायालय के बन्द होने से ठीक पहले था, जब उनके सम्बन्ध में निर्णय लेना था । ऐसी छुट्टियों की अवधि के लिए अभिरक्षा में रहना क्योंकि अन्यथा उनका स्कूल बन्द रहता था, इसके बाद, बच्चें दिनांक 17.08.2019 को फिर से अदालत में पेश हुए, जब पुनरीक्षण आवेदन में सुनवाई वस्तुतः अन्तिम चरण में थी, इस अदालत ने बच्चों के साथ बातचीत के बाद उनके विचार और प्राथमिकताएं लीं । स्वंय की अभिरक्षा, एक ऐसा मार्ग जिसका किसी तरह एल0डी0 द्वारा सहारा नहीं लिया गया था । निचली अदालत, जिसने इसके विपरीत अपने आक्षेपित आदेश में यह राय दी थी कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, बच्चों के साथ सीधी बातचीत उचित नहीं होगी । इस सम्बन्ध में प्रासंगिक टिप्पणियाँ निरस्त आदेश के पैरा नम्बर 15 में निहित हैं, जो नीचे दी गई है :–

"15 इस मामले में विज्ञापन, नाबालिग लड़कियाँ पिछले एक साल से माँ से दूर रह रही है । पति–पत्नि के बीच दुश्मनी को देखते हुए और नाबालिग बेटियों की कम उम्र और उनके नाजुक दिमाग को देखते हुए और मामले की परिस्थितियों में भाग लेने के लिए इस स्तर पर नाबालिग लड़कियों का साक्षात्कार लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वे अपना सकारात्मक दृष्टिकोण देने में सक्षम न हों और एक निश्चित प्राथमिकता न बना सकें कि वे किसके साथ रहना चाहती है ।"

11. आक्षपित आदेश का विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख कारणों की पहचान की हैं, जिससे याचिकाकर्ता / माँ को प्राथमिकता देने के बजाय प्रतिवादी / पिता के साथ अन्तरिम अभिरक्षा बनाए रखने के सम्बन्ध में उसका निर्णय प्रभावित हुआ है, जो कि :–

(i) कुछ हद तक, न्यायालय इस विवाद से अवगत था कि प्रतिवादी के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके पास मुख्य याचिका पर विचार करने का क्षैत्रीय क्षैत्राधिकार नहीं हो सकता है कि नाबालिग बच्चे 'सामान्य तौर पर' उसके साथ नोएडा में रहते है यानि इस विवाद के सम्बन्ध में अदालत के अधिकार क्षैत्र से परे । निःसन्देह, अधिकार क्षैत्र

में दोष के सम्बन्ध में यह विवाद अपने आप में याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करने का प्रमुख कारण नहीं था ।

(ii) माननीय अदालत एल0डी0 द्वारा निचे दिए गए आदेश के पैरा नं0 22 में अदालत ने 'रूचिका बिन्द्रा बनाम हरविन्दर सिहँ' मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फेसले का हवाला दिया है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता / माँ को अन्तरिम अभिरक्षा देना एक तरह से गलत होगा । उसके पक्ष में बच्चों की अभिरक्षा की अन्तिम राहत देना, जो सामान्य न्यायाशास्त्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध हैं ।

(iii) ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत भी याचिकाकर्ता / माँ के खिलाफ उसके नैतिक चरित्र और अमित गर्ग के साथ परीक्षण का मामला, व्यभिचार में शामिल होने के सम्बन्ध में लगाए गए आरोपों की प्रकृति से चिन्तित है, हालांकि ऐसे आरोपों की सच्चाई या सच्चाई अलग है । लेकिन किसी भी अन्तरिम राहत के लिए आवेदनों से निपटने में सामान्य पाठ्यक्रम अपनाते हुए, निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को "प्रथम दृष्टया" कारण के रूप में माना है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि नाबालिग लड़कियों के मानसिक / मनोवैज्ञानिक विकास से समझौता किया जा सकता है । उन्हें उनकी माँ देखरेख में रखा जाना हैं ।

(iv) इसके अलावा, निचली अदालत का विचार था कि शैक्षणिक सत्र के बीचमें नाबालिग बच्चों को उनके वर्तमान स्कूल से स्थानांतरित करना उनके समग्र कल्याण के हित में नही हो सकता है और,

(v) माननीय अदालती (निचली अदालत) ने नाबालिग बच्चों के साथ सीधे बातचीत करने का प्रयास किए बिना, फिर भी यह विचार कर रही थी कि उनके वर्तमान स्थान (जैसा कि उन बच्चों के पिता का मकान नोयडा से) से उनका विस्थापन उनके लिए कुछ आघात का कारण बन सकता है ।

12. याचिकाकर्ता के वकील ने अपने पति की दलीलों के दौरान कहा कि उनके मुवक्किल को अन्तरिम अभिरक्षा से इनकार करने के उद्देश्य से उपरोक्त पांच कारणों में से कोई भी उचित नही हैं । सबसे पहले यह दावा किया गया है कि यह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि अभिरक्षा के मामले में, माता–पिता मेंसे किसी एक का निवास स्थान, और विशेष रूप से मां का निवास स्थान, सम्बन्धित न्यायालय को अभिरक्षा याचिका का विचार करने के लिए क्षैत्रीय अधिकार क्षैत्र प्रदान करता है । (देखें: लक्ष्मी भट्ट बनाम डी.एच.वेंकट कृष्णा, मैट, ए नंबर 192 ऑफ 2010, दिनांक 25-03-2010; वी.वासु बनाम मुरलीधरन, मैट, ए, नंबर 137 ऑफ 2008 दिनांक 13-01-2009; एस. प्रभु बनाम रजनी आर., एमए

नंबर 177 ऑफ 2006 दिनांक 25-01-2007 (केरल); अमित कश्यप बनाम पूजा सीआर नंबर नंबर 6683 ऑफ 2016 (ओ एंड एम) दिनांक 19-12-2016; चिरंजीव सिंह सैनी बनाम बलजीत कौर 2017 का सग्गू सीआर नंबर 3288 दिनांक 16-08-2017 और सरबजीत बनाम पियारा लाल और अन्य दिनांक 01-04-2005 (पंजाब और हरियाणा).

13. इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अभिरक्षा के मामलों में, न्यायालय के समक्ष सर्वोपरि विचार नाबालिग बच्चे (बच्चों) का कल्याण सुनिश्चित करना है, न कि प्रतिस्पर्धी पक्षो के कानूनी अधिकार, और ऐसी परिस्थितियों में, यहा तक कि अन्तरिम अभिरक्षा भी, जब तक यह बच्चे के लाभ के लिए होगा, केवल कानूनी बारीकियों के आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि कार्यवाही में दावा की गई अन्तिम राहत अन्तरिम चरण में नही दी जानी चाहिए ।(जे. फ़िनी जेफरसन बनाम एसपी ओन्सिरो बेला सीआरपी (पीडी) (एमडी) संख्या 383 ऑफ़ 2009 दिनांक 25-08-2009 (मद्रास); विनोद कुमार बनाम श्रीमती रिया सीआर संख्या 8360 ऑफ़ 2015 दिनांक 09-12-2015; प्रीत रंजन कौर बनाम हरजीत सिंह और एक अन्य संशोधित सीआरएल डब्ल्यू.नं. 978 ऑफ 2012 दिनांक 16-11-2012 (पंजाब और हरियाणा) और पवित्रा के. बनाम वामशी कृष्णा जी. रिट याचिका संख्या 52861 ऑफ 2017 दिनांक 11-01- 2018 (कर्नाटक)

14. माननीय अदालत एल0डी0 की टिप्पणियों के सम्बन्ध में कि निचली अदालत का कहना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए व्यभिचार के आरोप, हालांकि अभी तक अप्रमाणित है, फिर भी यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त "प्रथम दृष्टा सामग्री" है कि नाबालिग बच्चों को उसकी अभिरक्षा में रखने से उनके समग्र कल्याण, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यभिचार के ऐसे आरोप अप्रासंगिक है और इसे साबित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा मांगे गए सबूत स्वंय अस्वीकार्य है, जो याचिकाकर्ता के फोन कॉल और इलक्ट्रौनिक संचार की अवैध टेपिंग / हैकिंग द्वारा एकत्र किए गए है । (रॉयला एम.भुवनेश्वरी बनाम नागफनेंद्र रायला-2; विशाल कौशिक बनाम फैमिली कोर्ट और 2013 का एक अन्य सीडब्ल्यूपी नंबर 14726 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 26-05-2015 को तय किया गया; मैरी वनिता बनाम बाबू रोयान (1991) 2 एमएलजे 231: जे। फ़िनी जेफ़रसन बनाम एस. पोन्सिरो बेला सीआरपी (पीडी) (एमडी) नंबर 383 ऑफ़ 2009 दिनांक 25-08-2009 (मद्रास); विनोद कुमार बनाम श्रीमती रिया सीआर नंबर 8360 ऑफ़ 2015 दिनांक 09-12-2015 (पंजाब और हरियाणा); प्रभाती मित्रा बनाम डी.के.मित्रा-3 और रोज़ी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल-4।

15. याचिकाकर्ता के पक्ष ने आगे तर्क दिया है कि ऐसे मामले में भी जहाँ माँ पर व्यभिचार का आरोप अन्यथा स्थापित किए जाते है जैसे कि उस व्यक्ति को दोषी ठहराना जिसके साथ वह व्यभिचारी, व्यभिचार के अपराध के लिए धारा–497 आई0पी0सी0 में सम्बन्ध थी । फिर भी यह

मां के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटियों की अभिरक्षा पाने के लिए अयोग्यता नहीं होगी (रमा शंकर बनाम श्रीमती रमा बेटी उर्फ शारदा)

16. शैक्षणिक सत्र के मध्य के दौरान वर्तमान स्कूल से उनके विस्थापन के कारण बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों से समझौता होने की आशंका के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.08. 2019 को दायर अपने बाद के हल्फनामें के साथ दिनांक 18.05.2019 के एक प्रमाण–पत्र की प्रति लगाई है (अनुलग्नक ए–1) प्राइमरपाल दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैक्टर–11डी0, फरीदाबाद द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है :–

"यह प्रमाणित किया जाता है कि कक्षा–1 के लिए अरूणिमा और कक्षा–3 के लिए शरण्या मोहन ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब वे इस स्कूल में प्रवेश के लिए पात्र है ।"

17. इस सम्बन्ध में, पेरोनर ने अपने हल्फनामें में कहा है कि प्रस्तावित दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद में वही सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम है, जो नाबालिग बच्चों के वर्तमान स्कूल द्वारा अपनाया जाता है, और इस तरह इसमें कोई बदलाव नही होगा और उनकी दो नाबालिग बेटियों के लिए क्रमशः कक्षा–1 और कक्षा–3 की फरीदाबाद मे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई । याचिकाकर्ता ने अपने हल्फनामें में इसका जिक्र भी किया है :–

"4. मैं आगे वचन देता हूँ कि मैं अपनी नाबालिग बेटियों की पढ़ाई और नाबालिगों के सर्वोत्तम हित में उनके समग्र विकास के लिए अन्य सभी व्यवस्थाएं उस स्तर पर करूंगा जो कि प्रदान की जा रही तुलना में और भी बेहतर होगा । नाबालिग बेटियों के लिए प्रतिवादी वचन देता है कि मैं अपनी नाबालिग बेटियों को डी0पी0एस0 के अलावा फरीदाबाद के किसी भी वैकल्पिक स्कूल में दाखिला दिला सकता हूँ, अगर बाद में यह आवश्यक पाया गया कि फरीदाबाद दिल्ली एन0सी0आर क्षैत्र में शिक्षा का एक सुप्रसिद्ध केन्द्र है और कई उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल है"

18. इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया है कि पहले पैरा–11 में उल्लेखित पहले चार कारण, जिन्होने निचली अदालत को प्रभावित किया था । निचली अदालत ने अन्तरिम अभिरक्षा के लिए उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसमें कोई वास्तविक तथ्य नहीं है । इसके बाद, उनकी ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पिता सहित किसी भी अन्य की तुलना में नाबालिग बेटियों की देखभाल के लिए मां सबसे अच्छी व्यक्ति है और मोनोर बेटियों के कल्याण के लिए मां के साथ बेहतर सेवा/पदोन्नति की जाएगी, जिसे मान्यता प्राप्त है नाबालिग बेटियों के यौवन प्राप्त करने तक और उसके बाद 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच किशोरावस्था की अवधि के दौरान उनकी अभिरक्षा पाने का हकदार होना । (रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल-6; विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह सिविल अपील नंबर 3962 ऑफ 2016 (एससी); प्रभाती मित्रा बनाम डी.के. मित्रा-7; विनोद कुमार बनाम श्रीमती रिया सीआर नंबर 8360 ऑफ 2015 दिनांक 09- 12-2015 (पंजाब और

हरियाणा); और जे.फिनी जेफरसन बनाम एस.पोन्सिरो बेला सीआरपी (पीडी) (एमडी) नंबर 383 ऑफ़ 2009 दिनांक 25-08-2009 (मद्रास)।

19. मैथ्यू वर्गीस रेसेम वर्गीस मामले मे केरल उच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया गया है कि जहाँ बच्चे उन्हे छोड़ देते है, या किसी भी मामले में अपने पिता के कर्त्तव्य को निभाने में विफल रहते है और वह उनकी अभिरक्षा से अयोग्य माना जाता है, और किसी अन्य मामले में, रौजी जैकब (ऊपर लिखित) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया है कि भले ही एक पिता स्नेही हो और बेटी के मामले में कोई अयोग्यता न हो, फिर भी उसे उसकी अभिरक्षा का अधिकार नहीं होगा और ऐसी स्थिति में भी बेटी की माँ को कोई अधिकार नहीं होगा । उस स्थिति में बच्चों का पंसदीदा संरक्षक होगें ।

20. अपने तर्क का समर्थन करते हुए, याचिकाकर्ता ने अपने हल्फनामे में दिनांक 17.08. 2019 में यह सूचित किया है कि अन्तराल में, उसे अपने नियोक्ता नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा पदोन्नति का दर्ज दिया गया था और एक वरिष्ठ प्रबन्धक के रूप में अपने पदोन्नति पद पर शामिल होने के लिए बठिण्डा में स्थानांतरित कर दिया गया था । हालाँकि, उसने अपने लिए पदोन्नति के ऑफर के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे उसकी शारीरिक गतिविधि बठिण्डा की तरफ ज्यादा ध्यान बढ़ जाती, जिसके परिणामस्वरूप उसे फरीदाबाद में उसके वर्तमान निवास से विस्थापित किया जा सकता था, जहाँ वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती है । अन्यथा सुसंस्कृत और सज्जन व्यक्ति होने के नाते नाबालिग बच्चों की देखभाल कर सकती है, तब भी जब उन्हें नोएडा में अपने एक कार्यक्रम में शामिल होना हो, जहाँ वर्तमान में तैनात हैं । जो ठीक है, कुल मिलाकर, इस संबंध में याचिकाकर्ता की दलील यह है कि वह अपनी नाबालिग बेटियों के कल्याण के लिए अपने रास्ते से हट गई है और यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें उसके घर में लावारिस छोड़ दिया जाएगा, भले ही उसे अपनी सामान्य देखभाल करनी पड़े । वह कार्यालय में अपने सामान्य कर्तव्यों में भाग लेती है । इस तरह, याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर देने की मांग की है कि आधिकारिक कर्त्तव्य पर उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसके माता-पिता के घर में नाबालिग बच्चों के बेहतर देखभाल की जाएगी । उनके अनुसार, जो प्रतिवादी के माता-पिता, जो वरिष्ठ नागरिक है यानि वृद्ध है और बहुत अच्छे स्थास्थ्य में नहीं है, और उनके परिवार के सदस्यों, जैसे कि हमारी तलाकशुदा बहन, की तुलना में उनकी देखभाल करने के लिए

बहुत बेहतर स्थिति में है । यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में उसके स्वंय के पूर्ववृत्त को देखते हुए बच्चों के विकास को नुकसान हो सकता है । याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में दायर अपने प्रत्युत्तर के पैरा–14(3) में दावा किया था कि प्रतिवादी की कथित बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और विभिन्न तरीकों से उसके पति को शारीरिक और मानसिक यातना देते थे तथा "मजबूर" करते थे कि उसे सम्बन्धित न्यायालय की डिक्री द्वारा अपने विवाह को विघटित करने के लिए सहमत होना होगा, जिसके बाद, प्रतिवादी की बहन के कथित तलाकशुदा पति ने दोबारा शादी कर ली है ।

21. हालाँकि इस न्यायालय की राय में प्रतिवादी बहन के निजी जीवन का ऐसा सन्दर्भ अनावश्यक है । यह दावा कि प्रतिवादी की बहन के पति, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, अब किसी और से पुनर्विवाह कर रहा है, को प्रतिवादी की बहन के साथ अपनी शादी को तोड़ने के लिए "मजबूर" किया गया था, जो स्पष्ट रूप से **आरोप लगाने वाले से भी ज्यादा बुरा मानने** की प्रकृति का आरोप है । यह दावा कि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका में एक पक्ष को इस तरह के विच्छेद के लिए सहमत होने के लिए "मजबूर" किया गया था, केवल उस विशेष न्यायालय के आचरण / क्षमता पर सन्देह पैदा करेगा, जिसने इस तरह के विच्छेद का आदेश दिया था । इस आशय की कि वह स्वंय को सन्तुष्ट करने में विफल रही कि विवाह विच्छेद की याचिका दोनों पति–पत्नी द्वारा स्वेच्छा से या उनकी स्वतन्त्र सहमति से दायर नही की गई थी । इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर में इस तरह के अनावश्यक दावे निश्चित रूप से अन्तरिम अभिरक्षा के लिए उसके मामले को मजबूत नहीं करते हैं, लेकिन यह सुझाव देने का प्रभाव है कि उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति उसका रवैया शत्रुतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है, और नाबालिग बच्चों को रखा जा रहा है । उसकी अभिरक्षा से उनके पिता के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण/प्रतिशोधात्मक बातचीत का अवांछनीय प्रभाव पड़ सकता है ।

22. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई उपरोक्त सभी दलीलों पर विचार किया है, साथ ही वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए उसकी ओर से उद्धृत मामले के कानूनों की प्रयोज्यता पर भी विचार किया है, हालाँकि, न्यायालय की सुविचारित राय है कि इस पर फिलहाल, नाबालिग बच्चे की अन्तरिम अभिरक्षा उसे नही दी जानी चाहिए । ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, माननीय एल0डी0 कोर्ट का एक निर्देश है । इस अदालत की एक समन्वय पीठ के तहत अदालत ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर अभिरक्षा के लिए मुख्य अपील को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए कहा, जबकि उस उद्देश्य के लिए मूल समय दिनांक 01.12.2018 के पहले के

आदेश में उल्लिखित था, जो कल ही समाप्त हो रहा है, छह सप्ताह का विस्तारित समय दिया जा सकता है । इसके बाद लगभग डेढ़ महीने तक कार्यवाही चली । विशेष रूप से दिनांक 17.08. 2019 को नाबालिग बच्चों के साथ बातचीत के दौरान, यह परिषद् यह समझ सकी कि वे इस स्तर पर याचिकाकर्ता माँ की अभिरक्षा में नहीं जाना चाहते है और दृढ़ता से कहा कि वे पिता के साथ रहना चाहते है । यह तर्क दिया जा सकता है कि इतनी कम उम्र में, नाबालिग बच्चों को उनके पिता द्वारा मेरे चैम्बर में मेरे सामने इस तरह का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिखाया जा सकता था, या अन्यथा वे यह समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं थे कि उनका अन्तिम कल्याण कहाँ है, लेकिन बड़ी बेटी शरण्या मोहन इस अवस्था तक चली गई कि मुझे यह बताते हुए कि वह याचिकाकर्ता / माँ के पक्ष में मुलाकात के अधिकार की मौजूदा व्यवस्था से भी खुश नहीं है, जिसके तहत लड़कियाँ सप्ताहान्त में उसके साथ घूमती है । नाबालिग बेटी ने बताया कि उसे एक समारोह में कुछ भूमिका निभाने के लिए चुना गया था । इस वर्ष "जन्माष्टमी" के अवसर पर उनके स्कूल में आयोजित होने वाली रिहर्सल के लिए उन्हें सप्ताहान्त पर रिहर्सल में भाग लेना था, लेकिन आक्षेपित आदेश में, यह संभव नही था क्योंकि इसमें निहित निर्देश के मद्देनजर उन्हें याचिकाकर्ता के घर जाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप, नाबालिग बच्चे को अन्ततः संबंधित समारोह में भागीदारी के लिए भाग नहीं लिया । दोनों नाबालिग बच्चों ने यह भी कहा कि वे स्कूल में अपने शिक्षकों और दोस्तों से बहुत खुश है और इस स्तर पर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते है ।

23. नील रतन कुण्डू और अन्य बनाम अभिजीत कुण्डू मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया था :-

"71. वर्तमान मामले में, समग्र विचार-विमर्श पर हम आश्वस्त हैं कि नीचे की अदालतें बच्चे के कल्याण के प्रासंगिक और उचित सिद्धांत को सर्वोपरि विचार के रूप में लागू किए बिना अभिजीत प्रतिवादी को नाबालिग अंतरिक्ष की हिरासत देने में सही या उचित नहीं थीं। ट्रायल कोर्ट अंतरिक्ष की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए था कि वह किसके साथ रहना चाहता है।

72. हमने अंतरिक्ष को अपने चैंबर में बुलाया है. हमें तो काफी बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। जब हमने उससे पूछा कि क्या वह अपने पिता के पास जाना चाहता है और उनके साथ रहना चाहता है, तो उसने स्पष्ट रूप से उनके साथ जाने या उनके साथ रहने से इनकार कर दिया । उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने नाना-नानी के साथ बहुत खुश हैं और आगे भी उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे। इसलिए, हमारा मानना है कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अंतरिक्ष की अभिरक्षा उसके पिता, यहां प्रतिवादी को देना उचित नहीं होगा ।

73. उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार करने योग्य है और तदनासुर अनुमति दी जाती है । प्रतिवादी अभिजीत द्वारा अपने बेटे अन्तरिक्ष की अभिरक्षा के लिए आवेदन दायर किया गया । बर्खास्त करने का आदेश दिया है, हालाँकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, लागत के संबन्ध में कोई आदेश नही दिया जाएगा ।"

24. उपरोक्त निर्णय 1890 के अधिनियम की धारा 17(3) पूर्ण अनुरुप है, जो यह प्रावधान करता है कि यदि नाबालिग बुद्धिमान वरीयता बनाने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो न्यायालय उस प्राथमिकता पर विचार कर सकता है । इस विशेष निर्णय में, संबंधित नाबालिग बच्चा, जिसकी उम्र मात्र छः वर्ष थी, को न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा काफी बुद्धिमान पाया गया, जिन्होने चैम्बर में उससे बातचीत की और उसके अपने पिता के साथ रहने से इन्कार करने पर भी विचार किया गया । अपने दादा–दादी के प्रति उनकी प्राथमिकता के कारण, उनकी अभिरक्षा के लिए पिता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था ।

25. गायत्री बजाज बनाम जितेन भल्ला मामले में सर्वोच्य न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा :–

"14. उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिभावकों और वार्ड अधिनियम, 1890 या हिन्दू अल्पसंख्यक और चतुर्थाश अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा का आदेश न्यायालय द्वारा बच्चों के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए दिया जाना आवश्यक है । नाबालिग को सर्वोपरि महत्य देना । माता–पिता में से किसी एक का यह बेहतर अधिकार नहीं है कि अभिरक्षा के अधिकार पर निर्णय लेते समय निर्णय की आवश्यकता हो । बच्चे की इच्छा के साथ–साथ उचित पालन–पोषण के लिए अनुकूल और उचित वातावरण की उपलब्धता हो । बच्चे की देखभाल करने के लिए सम्बन्धित माता–पिता की क्षमता और साधन कुछ ऐसे प्रासंगिक कारक है जिन्हे नाबालिग की अभिरक्षा के मुद्दे पर निर्णय लेते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए । इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अन्य सभी कारक निस्संदेह प्रासंगिक है, यह नाबालिग की इच्छा, हित और कल्याण है जो महत्वपूर्ण और अन्तिम विचार है जिसे अदालत द्वारा किए जाने वाले दृढ़ संकल्प का मार्गदर्शन करना चाहिए । .....(महत्व जोड़े)

15.....

16. उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम इन अपीलों को खारीज करते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि करते है और याचिकाकर्ता को किसी भी मुलाकात के अधिकार से वंचित करते है और आगे निर्देश देते है कि बच्चे अपने पिता की अभिरक्षा में ही रहेंगे । जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते"

26. पूर्ववर्ती पैरा संख्या 21 से 25 में दर्ज टिप्पणियों के मद्देनजर, इस न्यायालय की फिर से राय है कि जब याचिकाकर्ता की मुख्य संरक्षकता याचिका का अन्तिम निपटान समय के हिसाब से बहुत दूर नहीं प्रतीत होता है, एल0डी0 पर एक समन्वय पीठ की दिशा का लेखा–जोखा । निचली अदालत और नाबालिग बच्चों की स्पष्ट इच्छा यह है कि वे अपने पिता की अभिरक्षा में रहें और अपने वर्तमान स्कूल में पढ़ाई जारी रखें, इस स्तर पर उन्हें अनावश्यक रूप से उनके पिता की अभिरक्षा से बेदखल करने का कोई औचित्य नहीं हैं, खासकर यह देखते हुए कि कोई सत्यापन

योग्य नहीं है रिकार्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि बच्चों के साथ किसी भी समय उनके पिता/प्रतिवादी द्वारा दुर्व्यहार किया गया है या उन्हें किसी भी प्रकार की क्रूरता या आधात का सामना करना पड़ा है, न हीं उन्होंने स्वयं मेरे साथ बातचीत के दौरान अपने पिता के खिलाफ इस तरह का कुछ भी सुझाव दिया है ।

27. उपरोक्त कारणों से, वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है । हालाँकि, इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्देशानुसार लंबित संरक्षकता याचिका को अन्तिम रूप से निपटाने में ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि अन्तिम निर्णय लेने से पहले नाबालिग बच्चों के साथ भी बातचीत की जाए, एक ऐसा कोर्स जिसे उसने अन्तरिम अभिरक्षा याचिका पर निर्णय लेने से पहले नहीं अपनाया था ।

पायल मेन्द्य

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सतीस कुमार

अनुवादक